

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, राजस्थान जयपुर

क्रमांक फा. 2(2)सविरा/निशा/अ/2018

दिनांक 07.03.2019

आदेश

निर्देशानुसार निम्नांकित कार्मिको का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय में "जनहित में" तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कार्मिक सर्वश्री/श्रीमती	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	नवीन पदस्थापन कार्यालय
1.	श्री रामकुमार सिंह	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मा0सं0वि0) अनुभाग, प्रधान कार्यालय, जयपुर	अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, भरतपुर
2.	श्री विनोदसिंह	कनिष्ठ सहायक	आडिट अनुभाग, प्रधान कार्यालय जयपुर	विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियों, दौसा
3.	श्री लक्ष्मी कान्त खत्री	वरिष्ठ सहायक	विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियों, सिरोही	उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, सिरोही
4.	श्री अश्विन कुमार दवे	वरिष्ठ सहायक	उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, सिरोही	विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियों, सिरोही
5.	श्री रमेश शर्मा	कनिष्ठ सहायक	उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, जोधपुर	अतिरिक्त रजिस्ट्रार (अपील्स)सहकारी समितियों, जोधपुर
6.	श्री कमलेश यादव	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, टौंक	अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, जयपुर खण्ड जयपुर
7.	श्री मोहन सिंह	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, राजसमन्द	विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियों, उदयपुर
8.	श्रीमती रूप कंवर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियों, सीकर	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, सीकर

उपरोक्त समस्त स्थानान्तरित कार्मिको को तत्काल कार्यमुक्त कर आदेशित किया जाता है कि वे नवपदस्थापन कार्यालय पर कार्यग्रहण कर सूचित करें ।



(सुरभि शर्मा)

संयुक्त रजिस्ट्रार(प्रशासन)

क्रमांक फा. 2(2)सविरा/निशा/अ/2018

दिनांक 07.03.2019

प्रतिलिपी:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सहकारिता एवं इगांनप, राजस्थान जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सहकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियों, राजस्थान जयपुर
4. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मां.स.वि.) सहकारी समितियों, प्रधान कार्यालय जयपुर
5. संयुक्त मुख्य अंकेक्षक, सहकारी समितियों, राजस्थान जयपुर
6. अतिरिक्त रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों,
7. क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, /विशेष लेखा परीक्षक,सहकारी समितियों,
8. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी प्रधान कार्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें ।
9. लेखा शाखा (व्यय) प्रधान कार्यालय जयपुर को अतिरिक्त प्रति सहित ,
10. श्री द्वारा..... ।
11. रक्षित पत्रावली


संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन)